न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 21/2016/223 आर टी ए

1. जनतासिंह उर्फ गुरजंटसिंह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रखाला तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. अवास मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद (फौत)

1/1 इकबालमोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 ईस्माईल मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 रमजान मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 इरशाद मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/5 नजीरा बेगम पत्नि अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/6 रजिया बेगम पुत्री अवास मोहम्मद पतिन फलकशेर जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/7 फीजो बीबी पुत्री अवास मोहम्मद पत्नि यूनस खां जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. गुरदेवकौर पत्नि गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
3. गुरबचनसिंह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 212/2010 अनवानी अवास मोहम्मद बनाम गुरदेवकौर आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट

श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/7

श्री शंकर सोनी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 एक वाद सहायक कलैक्टर टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीलांट के नाम से दर्ज भूमि राजस्व रिकार्ड मे

गलत दर्ज है। जबकि वादी आवास मोहम्मद की उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इसलिये वादी के पक्ष मे प्रश्नगत भूमि की डिक्री की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र मे अपीलांट को जो पता अंकित किया है वह भी कतई गलत अंकित किया है। अपीलांट पिछले 25 वर्षो से रखाला तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब मे निवास कर रहा है। वादी आवास मोहम्मद ने जानबूझकर अपीलांट का पता गांव गुडियां का इस आशय का दर्ज करवाया है कि वह गांव गुडिया मे मिली भगत कर प्रार्थी को सम्मन तलबी करवा सकेगा व वादी ऐसा करने मे सफल भी रहा। वादी ने अपीलांट का पता अपने वादपत्र मे गांव गुडिया दिखाकर अपने अविधिक प्रयासो से अपीलांट के विरूद्ध चस्पादगी से तामील दिखाकर व वाद मे न्यायालय को भ्रमित कर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाई है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 व 3 शुरू से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सा की चक 5 एसबीएन की 4.554 है0 भूमि पर काबिज रहे है व मौका पर भी काबिज है। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे वादी/रेस्पो0 का दावा पुष्ट होता हो। अपीलांट को उक्त निर्णय की सूचना तब प्राप्त हुई थी जब अपीलांट ने दिनांक 14.04.16 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी प्राप्त करना चाही तो राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट की भूमि को रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज होने के तथ्य पटवारी द्वारा अपीलांट को बताये गये तब अपीलांट ने बिना देरी किये अपने अधिवक्ता से उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल धारण के आधार पर भी खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है। वादी

द्वारा दावा केवल पुराने कब्जे के आधार पर है। पुराने कब्जे के आधार पर दावा दायर कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1984 पेज 338, आरआरडी 1998 पेज 24, आरआरडी 1990 पेज 212, आरआरडी 2011 पेज 508, आरआरडी 2014 पेज 326, आरआरडी 2014 पेज 192, आरआरडी 2014 पेज 98 न्यायिक दृष्टांत पेश कियें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2010 अपास्त की जावे तथा अपीलांट के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि जो कि अपील मे वर्णित है, मे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 दखलअंदाजी नही करने एवं अन्य को बैचान नही करने हेतु पाबंद किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है परन्तु प्रतिवादी का 2.277 है0 भूमि पर ही काबिज है जबकि राजस्व मे 4.554 है0 भूमि है जो कर्मचारियों की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। विवादित भूमि पर वादी/रेस्पो0 अर्सा दराज से काबिज है तथा रेस्पो0 की उक्त भूमि की रकमराज व आबयाना जमा करवाते आ रहे है जिसके संबंध मे रेस्पो0 ने सिंचाई विभाग व रकमराज जमा करवाने की रसीदे पेश की गई है तथा विवादित भूमि के चिपते काश्तकारो के शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जो सही है। अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल धारण के

आधार पर भी खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जा सकती है। वादी द्वारा दावा केवल पुराने कब्जे के आधार पर है। पुराने कब्जे के आधार पर दावा दायर कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है। जबकि रेस्पो0 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम से गलत दर्ज है, राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 व 3 के नाम 4.554 है0 भूमि दर्ज है परन्तु कब्जा 2.277 है0 भूमि पर ही है। शेष भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा काश्त है। हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जबकि प्रतिकूल धारण के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2010 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 21/2016/223 आर टी ए

1. जनतासिंह उर्फ गुरजंटसिंह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रखाला तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. अवास मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद (फौत)

1/1 इकबालमोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 ईस्माईल मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 रमजान मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 इरशाद मोहम्मद पुत्र अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/5 नजीरा बेगम पत्नि अवास मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/6 रजिया बेगम पुत्री अवास मोहम्मद पतिन फलकशेर जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/7 फीजो बीबी पुत्री अवास मोहम्मद पत्नि यूनस खां जाति मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. गुरदेवकौर पत्नि गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
3. गुरबचनसिंह पुत्र गुरदितसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाणा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 212/2010 अनवानी अवास मोहम्मद बनाम गुरदेवकौर आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलांट, श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/7, श्री शंकर सोनी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3 एवं श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2010 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.04.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ